# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–मार्च, 1997 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 3 मार्च,1997 (फाल्गुन 12,1918)

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों की जांच समिति, मध्यप्रदेश के प्रतिवेदन क्र.वि.प्रा–3 ए. इंदौर विकास प्राधिकरण पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, गोपीकृष्ण नेमा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, सरगुजा जिले में मलेरिया व आन्त्रशोथ से अनेक लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजकुमार पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के बुधनी तहसील के कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. लोक लेखा समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उप नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1997–98 के लिये लोक लेखा समिति के सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों".

### 5. प्राक्कलन समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 223 के उप नियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1997–98 के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने मे से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों".

### 6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 223 (ख) के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1997–98 के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों".

**7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये बीस सदस्यों का निर्वाचन**

श्री कांतिलाल भूरिया, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234 (ख) के उप नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1997-98 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिये सभा के सदस्यगण अपने में से 20 सदस्यों के निर्वाचन के लिये (जिसमें क्रमशः पांच-पांच सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों".

**8. विकलांग जन अधिनियम, 1996 के तहत् राज्य स्तरीय समन्वय समिति के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन**

श्रीमती उर्मिला सिंह, समाज कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, विकलांग जन अधिनियम, 1996 की धारा 13 की उपधारा (2) (जी) की अपेक्षानुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति के लिये विधान सभा के सदस्यों में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो".

**9. शासकीय विधि विषयक कार्य**

श्री बी.आर. यादव, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 5 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

**10. वर्ष 1996-97 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन**

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1996-97 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

**11. वर्ष 1997-98 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)**

| निर्धारित समय | | |
|---|---|---|
| 2 घन्टे 30 मि. | (1) मांग संख्या 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी |
| | मांग संख्या 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय |
| | मांग संख्या 63 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |
| | मांग संख्या 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| | मांग संख्या 82 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| | मांग संख्या 84 | अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता |
| | मांग संख्या 86 | ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं. |
| 1 घन्टा | (2) मांग संख्या 36 | परिवहन |
| 1 घन्टा | (3) मांग संख्या 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय |
| | मांग संख्या 74 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं |
| 1 घन्टा | (4) मांग संख्या 26 | संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय |
| | मांग संख्या 37 | पर्यटन |

**अशोक चतुर्वेदी**
**सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा**

भोपाल :
दिनांक : 1 मार्च, 1997